कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–4 / 2018 / 10–11 / 1348 भोपाल, दिनांक 9-5-18

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
हिरन डिविजन,
जबलपुर, मध्यप्रदेश।

विषयः–हिरन तथा छीताखुदरी परियोजना में प्रभावित वन भूमि के विरूद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये गैर वन भूमि उपलब्ध कराने बावत्।

संदर्भः–आपसे चर्चा दिनांक 25.04.2018

––0––

मेरे द्वारा दिनांक 25.04.2018 को जबलपुर प्रवास के दौरान हिरन एवं छीताखुदरी परियोजनाओं में प्रभावित वनभूमि के विरूद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि के संबंध में चर्चा की गई थी। वनमण्डलाधिकारी, जबलपुर द्वारा यह अवगत कराया गया कि हिरन परियोजना के विरूद्ध जो गैर वन भूमि उपलब्ध कराई गई है, वह पहले से ही वन भूमि है।

इस संबंध में लेख है मेरे द्वारा उपरोक्त दोनों परियोजनाओं में आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि तथा जबलपुर वनमंडल की वन भूमि दोनों को गूगल अर्थ पर देखने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. छीताखुदरी परियोजना में उपलब्ध कराई गई केवलारी गांव की खसरा क्रमांक 175 की 31.16 हेक्टेयर भूमि तथा खसरा क्रमांक 249 की 40.97 हेक्टेयर भूमि गैर वन भूमि है। इसे क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये लिया जा सकता है। इस परियोजना में ग्राम तोरी में खसरा क्रमांक 1 की 66.97 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 7 हेक्टेयर भूमि पूर्व से ही वन भूमि है। अतः इस ग्राम की लगभग 58 हेक्टेयर भूमि वृक्षारोपण के लिये ली जा सकती है।
2. हिरन परियोजना में उपलब्ध कराई गई पीपरिया गांव की खसरा क्रमांक 1, 2 एवं 147 की 88.28 हेक्टेयर भूमि पूर्व से ही वन भूमि है। अतः इस भूमि को वृक्षारोपण के लिये नहीं लिया जा सकता है। पडरिया गांव की खसरा क्रमांक 98 की 21.47 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 10 हेक्टेयर भूमि पूर्व से ही वन भूमि है। शेष लगभग 11 हेक्टेयर भूमि वृक्षारोपण के लिये ली जा सकती है।

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये समतुल्य राजस्व वन भूमि ली जा सकती है। अतः प्रकरण में निम्न कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

1. छीताखुदरी परियोजना में कुल 69.555 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। अतः इस परियोजना के लिये केवलारी गांव की खसरा क्रमांक 175 की 31.16 हेक्टेयर भूमि तथा खसरा क्रमांक 249 की 40.97 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल 72.13 हेक्टेयर भूमि ली जा सकती है। इस परियोजना में ग्राम तोरी में खसरा क्रमांक 1 की 66.97 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता नहीं है। अतः ऑनलाईन प्रस्ताव से ग्राम तोरी की भूमि को हटा दिया जावे।
2. हिरन परियोजना में में कुल 54.87 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। आपके द्वारा छीताखुदरी परियोजना में ग्राम तोरी में उपलब्ध कराई गई खसरा क्रमांक 1 की 66.97 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 7 हेक्टेयर भूमि जो पूर्व से ही वन भूमि है, को छोड़कर शेष लगभग 58 हेक्टेयर भूमि वृक्षारोपण के लिये ली जा सकती है।

अतः उक्त दोनों परियोजनाओं में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये आपके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही भूमि की KML फाईल, जियोरिफरेंस मेप तथा 1:50,000 स्केल की सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट में ऑनलाईन तथा हार्ड कापी में संशोधन कर इसे वनमण्डलाधिकारी, जबलपुर को प्रस्तुत करें।

09/05/18
(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक / एफ–4 / 2018 / 10–11 / 1349 भोपाल, दिनांक 9-5-18

प्रतिलिपि–

1. मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर वृत्त, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वन मंडल, जबलपुर, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। आप उक्त दोनों परियोजनाओं के ऑनलाईन प्रस्ताव आवेदक संस्था को वापस करें। साथ ही दोनों परियोजनाओं की हार्ड कापी भी संशोधन के लिये आवेदक संस्था को वापस करें।

09/05/18
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल